

प्रेस नोट

अपहरण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अपहृता सकुशल बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा अतरारी पुल के पास से दिनांक 04.08.2026 को समय करीब 23:30 बजे मु0अ0सं0- 265/2026, धारा 137(2), 87 एवं 352 बीएनएस थाना मुबाद गोहना जनपद मऊ0 से संबंधित अभियुक्त नितीश कुमार गोंड पुत्र मानिक चन्द गौड़, निवासी वलीदपुर भीटी, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, उम्र लगभग 21 वर्ष को गिरफ्तार कर अपहृता नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. नितीश कुमार गोंड पुत्र मानिक चन्द गौड़, निवासी वलीदपुर भीटी, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 265/2026, धारा 137(2), 87 एवं 352 बीएनएस थाना मुबाद गोहना0, मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय

1. दिनांक 04.08.2026
2. समय करीब 23:30 बजे।

***पाक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार- ***

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.08.2026 को समय करीब 10:00 बजे मु0अ0सं0- 227/2026 धारा 65(1), 115(2), 352, 351(1) बीएनएस व 5M/5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त शकील अहमद पुत्र फैय्याज अहमद निवासी- रघुनाथपुरा हल्दउवा पोखरा सलाहाबाद मोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब- 39 वर्ष को गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. शकील अहमद पुत्र फैय्याज अहमद निवासी- रघुनाथपुरा हल्दउवा पोखरा सलाहाबाद मोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 227/2026 धारा 65(1), 115(2), 352, 351(1) बीएनएस व 5M/5L/6 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय

1. दिनांक 05.08.2026
2. समय करीब 10:00 बजे

***पाक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में- ***

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.08.2026 को समय करीब 10:20 बजे मु0अ0सं0- 271/2026 धारा 137(2), 87, 64(2), 142 बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 271/2026 धारा 137(2), 87, 64(2), 142 बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय

1. दिनांक 05.08.2026
2. समय करीब 10:20 बजे

***पाक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार- ***

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.08.2026 को समय 09.45 बजे अब्बुपुर नदी पुल से मु(2)137 धारा 2026/78-0सं0अ0, 87, (1)65, 74, (2)351बीएनएस पोक्सो एक्ट से 8/7 पोक्सो एक्ट व 4/3 अवधेश निवासी 0सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र स्वसुल्तानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. शिवम कुमार पुत्र स्वअवधेश निवासी सुल्तानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ 0।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु 2026/78-0सं0अ0धारा (2)137, 87, (1)65, 74, (2)351बीएनएस पोक्सो 8/7 पोक्सो एक्ट व 4/3

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

1. दिनांक 05.08.2026-
2. समय 9.45 बजे सुबह
3. अब्बुपुर नदी पुल

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 02.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 37 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 344 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 04 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 25,000/- वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.08.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित/आवेदक श्रीनाथ पुत्र चन्द्रशेखर निवासी- अछार थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ का मोबाइल फोन VIVO T3 PRO (कीमती लगभग- 25000/- रुपये) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया ।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है कि मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके ।

एटीएम मशीन पर ग्लू लगाकर एटीएम कार्ड चोरी करके रुपये फ्राड करने वाले 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.01.2026 को जनपद मऊ के NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत एटीएम कार्ड चोरी करके जनपद मऊ के ही 01 बैंक एटीएम से रुपये चोरी कर लिये गये जाने के सम्बन्ध में साइबर क्राइम थाना पर मु0अ0सं0- 01/2026 धारा- 111(2)ख, 318(4), 319(2), 305 बीएनएस व 66C, 66D सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008, 42(3)E टेलीकम्यूनिकेशन अधिनियम पंजीकृत हुआ था। दिनांक 05.08.2026 को ग्राम हिन्दुआबाद थाना करौदीकला जनपद सुल्तानपुर से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमित यादव पुत्र जगन्नाथ यादव निवासी हिन्दुआबाद थाना करौदीकला जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

1. अमित यादव पुत्र जगन्नाथ यादव निवासी हिन्दुआबाद थाना करौदीकला जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक-

1. दिनांक: 05.08. 26
2. समय 12.30 बजे दोपहर
3. ग्राम हिन्दुआबाद थाना करौदीकला जनपद सुल्तानपुर

आपरेशन मजनु के अन्तर्गत लड़कियों व महिलाओं पर छीटाकसी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार....

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के द्वारा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए चलाये जा रहे आपरेशन मजनु अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.08.2026 को थाना दक्षिण टोला एण्टी रोमियों टीम के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुहल्ला घोड़ा दलाल की बारी बंधा रोड के पास रोड पर आने जाने वाली महिलाओं लड़कियों पर छीटाकसी करने वाले एक नफर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर / विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम-

ओमप्रकाश यादव पुत्र मुन्नु यादव निघोड़ा दलाल की बारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 0

पंजीकृत अभियोग-

मु114 0सं0अ0/296 धारा 2026b बी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 0एस0एन0

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.01. को जनपद मऊ के 2026NCRP पोर्टल पर एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आवेदिका का एटीएम कार्ड चोरी करके जनपद मऊ के ही बैंक एटीएम से रुपये चोरी कर लिये गये। आवेदिका से पूछताछ में आवेदिका द्वारा 01 बताया गया कि भीटी चौराहे पर स्थित एक एटीएम मशीन में मेरा कार्ड फस गया था और जब कार्ड नहीं निकला तो मैं एटीएम रूम के अन्दर लिखे नम्बर पर फोन की 01, जिसके थोड़ी देर बाद मेरा एटीएम कार्ड मशीन में से गायब हो गया था और करीब मिनट 10 20 के अन्दर ही मेरे एकाउन्ट से, रुपये निकाल लिये गये थे। आवेदिका द्वारा 500NCRP पोर्टल पर दर्ज कराये गये शिकायत में संदिग्ध मोबाईल नम्बर को भी दर्ज किया गया था, जिसकी जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त मोका ही प्रयोग करके जनपद बलिया में 01 16 दिनांक.01.1 को करीब 2026,95, रुपये इसी तरह से एटीएम कार्ड के माध्यम से निकाले गये है। 000पूर्व में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मा न्यायालय के आदेश के अनुक्रम 0में जिला कारागार मऊ दाखिल किया गया वांछित अभियुक्त, अमित यादव उम्र वर्ष 19 पुत्र जगन्नाथ यादव निवासी हिन्दुआबाद थाना करौदीकला जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश को आज दिनांक 05.08. 2026 को उसके घर ग्राम हिन्दुआबाद थाना करौदीकला जनपद सुल्तानपुर से समय करीब 12. 30बजे दोपहर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।